फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

जगाराम पुत्र धन्ना जाति [illegible] बनाम शोभाराम पुत्र नरसींगा वगैरा (37)
5 नि पुनी उन्दरी चौलानजा (39) तहसीलदार मोखडा
त. मोखडा

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अधि. मुकदमा नम्बर 56 / 22

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/4/22	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री जगदीश विश्नोई ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 111,128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू0–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/5/22 को पेश हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी	
16/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थीगण के समन रजि० डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की गई। रसीदें शामिल पत्रावली की गई। विप्रार्थीगण अनुपस्थित इंतजार हो आइन्दा पत्रावली दि० 26/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	
26/[illegible]/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 [illegible] कैम्प आडेल पेश हुई पत्रावली का अवलोकन [illegible] [illegible] जानकारी दी गई [illegible] [illegible] [illegible] मुकदमे न्यायालय [illegible] [illegible] पालनार्थ तहसील [illegible] हो पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली निर्णित हुआ होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्याः 56/2022

ण :–

जवारा पुत्र धना
जाति बणाक (सुथार) निवासी जूनी उन्दरी, धौलानाडा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रार्थीगण :–

1. गोमाराम पुत्र नरसींगाराम
2. केसीदेवी पत्नी मांगाराम
3. चूनी पुत्री तुलछाराम
4. जोगाराम पुत्र नरसींगाराम
5. जोगाराम पुत्र तुलछाराम
6. ठाकराराम पुत्र तुलछाराम
7. नेनाराम पुत्र मांगाराम
8. प्रकाश पुत्र तुलछाराम
9. बाबूराम पुत्र नरसींगाराम
10. मथरोदेवी पत्नी तुलछाराम
11. मालू पुत्री तुलछाराम
12. मोटाराम पुत्र नरसीगाराम
13. लेहरोदेवी पत्नी नरसींगाराम
14. वालाराम पुत्र तुलछाराम
15. सिमरथाराम पुत्र मांगाराम
    कौम राईका साकिन जूनी उन्दरी
16. अमरू पत्नी सवाईराम
17. बाबूलालपुत्र सवाईराम
18. भेराराम पुत्र सवाईराम
    जाति जाट निवासी निवासी जूनी उन्दरी
19. उदाराम पुत्र मोडाराम कौम सुथार साकिन नई उन्दरी
20. आम्बाराम पुत्र पोकराराम
21. खेमाराम पुत्र पोकराराम
22. गंगादेवी पत्नी पोकराराम
23. भूराराम पुत्र पोकराराम
24. राजूराम पुत्र पोकराराम
25. वागाराम पुत्र पोकराराम
26. विरधाराम पुत्र पोकराराम
    जाति सुथार निवासी नई उन्दरी
27. उकरडी पुत्री केवदा
28. गोदाराम पुत्र दुर्गा
29. चेला पुत्र माना
30. डाई पुत्री केवदा
31. तगा पुत्र माना (फौत) के कायम मुकाम–
    31/1 होती पुत्र तगा
    31/2 सामाराम पुत्र तगा
    31/3 माहींगाराम पुत्र तगा
    31/4 पुरखाराम पुत्र तगा
32. दलाराम पुत्र दुर्गा
33. धनाराम पुत्र दुर्गा
34. भूराराम पुत्र हेमराज
35. मलाराम पुत्र पन्ना
36. राजाराम पुत्र पना
37. सवाराम पुत्र पना
    जाति कलबी निवासी जूनी उन्दरी, धोलानाडा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रमी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 26/05/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071—2074 (2078 से स्थायी) सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 251, 252, 322 रकबा क्रमशः 0.1295, 6.8473, 2.1691 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 251, 252, 322 रकबा क्रमशः 0.1295, 6.8473, 2.1691 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना [illegible] प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त [illegible] किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:30 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 26/5/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी